

अज अदालतसहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),सिवाना

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. लालसिंह पुत्र हस्तीमल जाति पुरोहित निवासी मेली तहसील सिवाना जिला बाडमेर (राजस्थान)		1. जेताराम पुत्र लालाराम 2. हमीराराम पुत्र गंगलाराम जाति रवारी निवासी मेली तहसील सिवाना 3. राजस्थान राज्य जरिये भूमि धारक तहसीलदार सिवाना

किस्म मुकदमा.....धारा 88,53,188 RTA

मु0नं0...03/20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तागिल में जारी हुए
03.02.2020	<p>वादी लालसिंह की ओर से यह वादपत्र वकील श्री कैलाशपुरी द्वारा प्रतिवादीगण जेताराम वगैरा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88,53,188 RTA का पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 06.03.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(प्रमोद सीरवी) सहायक कलक्टर, सिवाना</p>	
14/9/2020	<p>पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त है। इत्तया होकर पत्रावली दिनांक...16/10/2020 को पेश है।</p>	
16/10/20	<p>पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त है। इत्तया होकर पत्रावली दिनांक...23/11/20 को पेश है।</p>	
21/10/20	<p>वादी व वादी के अधिवक्ता के विवेक पर उक्त पत्रावली आज सुनार के ली गयी वादी व वादी के अधिवक्ता द्वारा आदेश पत्र पेश कर विवेक किया कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य सौकीनान् है जैसे कि उक्त प्रकरण की वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कद कोई विवाद नहीं है जिसे उक्त वाद जैसे चलाना नहीं चाहते है कत वाद पत्र कोपे विज्ञान स्वीकृत किया जाये वादी व वादी के विवेक पर उक्त विषयान् प्रकरण कोपे सौकीनान् विज्ञान स्वीकृत किया जाता है पत्रावली विवेक सुनार होकर हरकिल दफतर हो।</p>	<p style="text-align: right;">(Signature) 21/10/20</p>
	<p>सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना</p>	

